

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वच्छ भारत मिशन, मैनेजमेंट कमेटी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 5/026/2020-5/127/2018 SBM(G) लखनऊ: दिनांक 9 जुलाई 2020
विषय-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत गुणवत्तापरक सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत ही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अपेक्षा के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है जिसके सम्बन्ध में निरंतर शासन स्तर से शासनादेश तथा स्टीमेट व डिजाइन एवं वित्तीय व्यय सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं तथा जनपदों द्वारा स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकताओं के दृष्टिगत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्पों में से चयन कर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं अथवा निकट भविष्य में किया जाना सम्भावित है।

प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु जिसे सामुदायिक शौचालय निर्माण में समाहित कर उसे और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है-

1. श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.06.2020 को उत्तर प्रदेश के जनपद-गोण्डा, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देश के क्रम में डिजाइन नं०-1(02 सीट वाले) सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स यथासम्भव नहीं बनाये जायेंगे। इन्हें अपरिहार्य स्थिति(स्थान न होने की दशा) में ही कराया जाए। यदि किसी जनपद के किसी ग्राम में 02 सीट वाला सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है एवं 06 सीट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, तो उसमें आवश्यकतानुसार तत्काल संशोधन कर उसे 06 सीट वाले(डिजाइन नं०-3) सामुदायिक शौचालय हेतु प्रेषित डिजाइन के अनुसार निर्माण कराया जाए।
2. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 की मार्ग-निर्देशिका के अनुसार सामुदायिक शौचालय हेतु अनुमन्य धनराशि ₹० 3.00 लाख है, जिसमें योजना अंश 70 प्रतिशत तथा ग्रामपंचायत अंश 30 प्रतिशत है, परन्तु शासनादेश संख्या 988/33-3-2020-31/2019 दिनांक 22 मई, 2020 के अनुसार केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त की धनराशि से निर्मित कराए जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार बड़े डिजाइन के लिये ₹० 3.00 लाख से अधिक की धनराशि भी व्यय की जा सकती है। निर्माण कार्य में व्यय होने वाली अकुशल श्रमांश की धनराशि का भुगतान मनरेगा से डवटेल कर किया जाए।
3. महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्भवतः पृथक-पृथक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए।
4. सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु विभाग द्वारा प्रेषित स्टीमेट व डिजाइन के तकनीकी मानकों का अध्ययन कर ही निर्माण कार्य कराया जाए।
5. निर्मित कराये जा रहे प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में इण्डिया डिवल्पमेंट सेन्टर के प्रतिनिधि श्री अखिलेश गौतम द्वारा दिनांक 30.06.2020 के वेबिनार में दिये गये प्रस्तुतिकरण/पुस्तिका में वर्णित सुझावों यथा-पर्याप्त पानी, साफ-सफाई, महिलाओं की निजता को ध्यान में रखकर ऊँची दीवारें, विद्युत तथा हैण्डवाशिंग हेतु उचित प्लेटफार्म, पानी की टोटी की व्यवस्था, समुचित रोशनदान जिससे सूर्य की रोशनी/धूप उपलब्ध हो सके दीवारों की पर्याप्त ऊँचाई, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, शौचालय के बाहर ओपन/ग्रीन स्पेस आदि को समेकित करते हुए जनपद स्तर पर विधिवत् अध्ययन कर सामुदायिक शौचालय के डिजाइन में समेकित किया जाना समीचीन होगा।

6. यदि एक ही काम्पलेक्स के भीतर महिला व पुरुष हेतु सामुदायिक शौचालय बनाये जाए तो महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक दिशाओं में पृथक-पृथक प्रवेश द्वार की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही नहाने व कपडे धोने के स्थल की भी व्यवस्था की जाए।
7. सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स तक पहुँचने के लिए अनिवार्य रूप से रास्ते की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि विभिन्न मौसम यथा-बरसात इत्यादि में लोगों को किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े।
8. प्रत्येक सामुदायिक शौचालय निर्माण में रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
9. सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है और आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। यथाशीघ्र जनपदों को सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु पी.आई.जी.एफ. की धनराशि भी अवमुक्त की जा रही है। यदि एन.ओ.एल.बी. के लक्ष्य को संतुष्ट करने के पश्चात भी पी.आई.जी.एफ. की धनराशि अवशेष है तो उस धनराशि से तत्काल सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करा कर पूर्ण रूप से व्यय करना सुनिश्चित करें।
10. पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था (ग्राम पंचायत/शासकीय तकनीकी एजेन्सी) के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य विलम्बतम 125 दिवसों (गरीब कल्याण/आत्मनिर्भर भारत अभियान अवधि) में पूर्ण करा लिया जाए।
11. सामुदायिक शौचालय निर्माण में किसी भी दशा में गुणवत्ता से कोई समझौता क्षम्य नहीं होगा।
12. जनपद में निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालयों में यथा सम्भव 30 प्रतिशत पिंक सामुदायिक शौचालय बनाये जाए जिसमें बाल मैट्रिक(टोडलर) शौचालय भी तदनुरूप छोटी सीट व डिजाइन के लगाये जाए।
13. सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव अर्थात आपरेशन एवं मेन्टेनेंस के सम्बन्ध में पृथक से शासनादेश निर्गत किये जा रहे हैं।
14. सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति का विवरण मिशन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये "आत्म निर्भर पंचायत ऐप" के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट के C10 मॉड्यूल पर पूर्ण निर्मित सामुदायिक शौचालय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए "ओ.डी.एफ. प्लस ऐप" (<https://sbm.gov.in/ODFPlus/>) के माध्यम से जिओ-टैग कराई जाए जिससे भारत सरकार की गरीब कल्याण/आत्मनिर्भर भारत की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो सके।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण तथा भौतिक, वित्तीय एवं जिओ-टैगिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (किरण सिंह)
 मिशन निदेशक,
 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ०प्र०।

संख्या :- 5/826/2020-5/127/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) उ०प्र०।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उ०प्र० को उक्त के अनुपालनार्थ।

मिशन निदेशक,
 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ०प्र०।